

Ten. No.

अपील सूचना अधिकार संख्या 66/2016 अनवानी श्री योगेश टेकवाणी निवासी बी-12 थर्ड फ्लोर, डा0 लोहिया रोड़, आर्दश नगर, दिल्ली बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

03-04-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री योगेश टेकवाणी उपस्थित नहीं है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री योगेश टेकवाणी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दि० 02.03.2016 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थी:-

1. श्रीगंगानगर शहरी क्षेत्र में वार्ड न० 1 में कार्यरत राशन की दुकान शांति ऑटोमोबाइल से संबंधित समस्त दस्तावेज जो आपके विभाग में उपलब्ध है उन सबकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाए।
2. श्रीगंगानगर शहरी क्षेत्र में वार्ड न० 1 में कार्यरत राशन की दुकान शांति ऑटोमोबाइल के माह दिसम्बर 2015, जनवरी 2016 व फरवरी 2016 के वितरण रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर व यूनिट रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाए।
3. श्रीगंगानगर शहरी क्षेत्र में वार्ड न० 1 में कार्यरत राशन की दुकान शांति ऑटोमोबाइल के दिनांक 01/01/2015 से 27/02/2016 तक प्रत्येक माह आपके दफतर में जमा कराई गयी मासिक रिटर्न की ?

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं० 3112 दिनांक 05.05.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक द्वारा जिस प्रारूप में सूचनाएं चाही है उस प्रारूप में सूचनाएं उनके कार्यालय में संधारित नहीं है तथा सूचनाएं एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनों को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। राज० सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 "च" व 7(9) में भी ऐसा स्पष्ट प्रावधान है तथा ऐसी सूचनाएं उपलब्ध करवाया जाना वर्जित है। आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर समय अवधि में आवेदक को पत्र क्रमांक 1622 दिनांक 31.03.16 से सूचित कर दिया था। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं० 1622 दिनांक 31.03.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:-

उपरोक्त चाही गई सूचनाएं जिस प्रारूप में आप द्वारा चाही गई है कार्यालय में संधारित नहीं है। अतः उक्त सूचना के सम्बन्ध आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 "च" में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रॉनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन ईमेल मत, सलाह, प्रैस विज्ञापित, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने मॉडल, आंकडो संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

इस प्रकार खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नहीं आता। सूचनायें एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनों को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है। अतः आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र हो तो 30 दिवस में प्रथम अपील जिला कलेक्टर श्री गंगानगर के न्यायालय में कर सकते हैं।

शान
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कोई निश्चित व स्पष्ट सूचना नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात् दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर या एकत्रित कर नागरिक को ऐसे खोजे गये/एकत्रित कर तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 31.03.2016 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

817-818
13/4/17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 03.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञान राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर